संख्याः—319 / XVIII(II) / 2009—01(154) / 08

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग—2 देहरादूनः दिनांकः 29 अप्रैल, 2009

विषयः—मोनाड टेक्नोलाजिज प्रा0लि0 को औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्राम जाफरपुर, तहसील गदरपुर जिला ऊधमसिंहनगर में के खसरा संख्या—69 रकबा 0.010 है0, खसरा संख्या—70ग रकबा 2.810 है0 एवं खसरा संख्या—72 रकबा 0.624 है0 अर्थात कुल रकबा 3.4440 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—781 / सात—स0भू0अ0 / 2009 दिनांक—27 जनवरी, 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय **मोनाड टेक्नोलाजिज प्रा0लि0 को औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्राम जाफरपुर, तहसील गदरपुर जिला ऊधमसिंहनगर में के खसरा संख्या—69 रकबा 0.010 है0, खसरा संख्या—70ग रकबा 2.810 है0 एवं खसरा संख्या—72 रकबा 0.624 है0 अर्थात कुल रकबा 3.4440 है0 भूमि क्रय की अनुमति** उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित / संस्तुत खसरा संख्याओं जो उक्तवत वर्णित है के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों / शर्तो के साथ प्रदान करते हैं:—

1— क्रेता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2— क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी औद्योगिक प्रयोजन (कौरोगेटेड बाक्स विनिर्माण सम्बन्धी इकाई की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग

............2

जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगा।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का भू– उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में दिये गये नियमों/मानकों के अनुसार एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– प्रस्तावित उद्योग में कौरोगेटेड बाक्स विनिर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह उत्पाद भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–07 जनवरी, 2003 के Annexure-2 के क्रमांक–11 के स्तम्भ–2 में अंकित पेपर तथा पेपर उत्पादों (नकारात्मक सूची के उत्पादों को छोडकर) में सम्मिलित है तथा इस उत्पाद पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज में प्रद्धत सुविधाओं का लाभ घोषित औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर भी उद्योग स्थापना पर नियमानुसार अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

9– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन–कौरोगेटेड बाक्स का विनिर्माण उद्योग के लिए किया जायेगा।

10– इकाई द्वारा प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को नियमित रूप से न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11– इकाई द्वारा प्रश्नगत स्थापना के सम्बन्ध में स्पोर्ट जोनिंग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा। इकाई में पूंजी निवेश/निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तथा अग्निशमन विभाग से नियमानुसार अनापत्ति/सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

.....3

12– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

13– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

14– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

15– प्रश्नगत भूमि में खडे वृक्ष का पातन आवश्यक होने पर इकाई द्वारा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के उपरान्त ही वृक्षों का पातन किया जायेगा।

16– इस स्वीकृति को विद्युत संयोजन के लिए स्वीकृति नही माना जायेगा। इकाई द्वारा ऊर्जा विभाग अथवा उसके अधीन सम्बन्धित संस्था की प्रक्रिया अनुसार विद्युत संयोजन के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17– भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

18– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

19– क्रय किये जाने वाली भूमि/भूभाग पर खड़े पेडों का निस्तारण/पातन यदि आवश्यक हो तो वृक्षो का निस्तारण/पातन किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से सम्बन्धित इकाई द्वारा अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

20– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०–319 (1)/तददिनाक/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

.................4

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के उद्योग विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3– सचिव, श्रम एव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5– निदेशक, उद्योग, इन्ड्रस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
6– निदेशक मै0 मोनाद टेक्नोलॉजी प्रा0लि0 श्री सचिन क्रीत मोदी पुत्र श्री क्रीत मोदी, निवासी प्लाट नं0–40–49, ई0पी0आई0पी0II थाना व पोस्ट बद्दी तहसील नालागढ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
8– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी )
अनु सचिव।